

277

8

soni-1

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

कमॉक 286/आउशि/छा./2011/

भोपाल दिनांक 6.8.11

प्रति,

- (1) कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
.....म.प्र.
- (2) समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

DPSESTCELL

विषय:-वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को पी.एच.डी.शोध छात्रवृत्ति नवीनीकरण आदेशों के संबंध में ।
संदर्भ:-इस कार्यालय के आदेश कमॉक 408/आउशि/छात्रवृत्ति/10/दिनांक 14.9.09 ।

—0—

संदर्भित आदेश के विषय में आपको अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पी.एच.डी.) शोध छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के संबंध में आपके द्वारा कार्यालयीन मार्गदर्शी सिध्दांतों का पालन नहीं किया जा रहा है । मार्गदर्शी सिध्दांत/विज्ञापन के बिन्दु कमॉक 3 व 4 में जो निर्देश दिये गये हैं उन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें । आपके द्वारा शोध छात्रवृत्ति छात्र को 03 वर्ष देय के आधार पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा रहा है । जब कि छात्रवृत्ति देय अवधि की गणना पंजीयन तिथि से की जाकर 03 वर्ष अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की तिथि जो भी पहले हो तक की जानी है । (पी.एच.डी.) शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये जिस वर्ष में आवेदन पत्र दिया गया है उस वर्ष के पूर्व पंजीयन तिथि तक की अवधि को छात्रवृत्ति हेतु गणना में न लिया जाये । बल्कि आवेदन पत्र के वित्तीय वर्ष में अप्रैल से प्रारंभ कर पंजीयन तिथि के 03 वर्ष पूर्ण होने की तिथि अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की तिथि जो भी पहले हो तक की अवधि में शेष अवधि के लिये छात्रवृत्ति देय होगी ।

उपरोक्त संदर्भ में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किये जाने वाले छात्रों की संकायवार सूची आदेशों सहित इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाये ताकि उन छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान के लिये राशि का आवंटन किया जा सके । कृपया यह कार्य पूर्ण गंभीरता एवं तत्परता से करने का कष्ट करें ।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(संयुक्तसंचालक) व्ही.एस.
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कृ.प.उ.

प्र.क्र.-अ.जा./अ.ज.जा. {प्रकोष्ठ}/2011 1719

दि. 11.3 SEP 2011

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक, शिक्षण संस्थान/अध्ययनशाला, दे. अ. वि. वि., इन्दौर ।
2. प्राचार्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।



S.P. Sule

13/9/2011

EM 9.9.11

उप-कुलसचिव

अजा/अजजा {विशेष प्रको.}